

5/11/20

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा व तहसीलदार  
फुलेरा उपस्थित। तहसीलदार फुलेराने संशोधित  
जवाब पेश किया। वहल उमर पक्षकारान कुमी  
गई। वहल पर मनन किया। शार्कनापत्र शर्मा  
136 नं० राजा-व आधिनियम साबित न होने पर  
स्वीकार किया जाता है। निर्णय फुलेराने व्यामालय में



तुनाभा गभा / पत्तावली मिठमि शुभा होकल  
नामाले स कम होकल दाविल दफ्तर हो!

उपखण्ड अधिकारी  
झाँझर लेक (जयपुर)